15/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.।

उभय पक्ष वकुलाय की बात सुनी गई। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति, पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली के खसरा नं. 854 रकबा 1.97 हैक्टर के संबंध में दिनांक 09-02-2022 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को मूल प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 177 RTA 1955 के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली